

उत्तर प्रदेश शासन,  
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4  
संख्या-182/71-4-2018-37/2015  
लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

उ०प्र० में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र की व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन हेतु उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 में प्रवेश और फीस नियमन के लिए एक समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। उक्त धारा-4 के अन्तर्गत उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियामावली 2008 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1-2008-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 प्रख्यापित की गयी है, जिसकी धारा-3(1) में निजी क्षेत्र की व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन के लिए समिति गठन का प्राविधान है।

2- उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एतद्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

(1)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।	अध्यक्ष, पदेन
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न न हो	सदस्य
(3)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।	सदस्य सचिव।


डा० रजनीश दुबे  
प्रमुख सचिव।

संख्या-182(1)/71-4-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
3. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
5. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०/डा० राम मनोहर लाहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,  
लखनऊ।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा  
शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा  
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।

9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
10. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
( अनिल कुमार )  
उप सचिव।


कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या: एमई-1/2018/674

लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2018

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
2. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेंटल कालेज, उ०प्र०।
3. कुलसचिव, के०जी०एम०यू०, लखनऊ / उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई० / डा०आर०एम०एल० इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, लखनऊ।
- ✓ 6. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-चार।
7. गार्ड फाइल।

  
( के०के०गुप्ता )  
महानिदेशक।